Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

महिला सशक्तीकरण विशेषकर राजनीतिक सशक्तीकरण

डॉ0 मदन कुमार वर्मा,
एसो0 प्रोफेसर, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत, उ0प्र0

Article Info
Volume 4, Issue 5
Page Number : 16-21
Publication Issue :
September-October-2021
Article History
Accepted : 03 Sep 2021
Published : 16 Sep 2021

सारांश :– स्त्री–पुरुष असमानता का उदय व स्त्रियों को पुनः सशक्त बनाने हेतु उठाये गये कदम।

मुख्य शब्द :– सशक्तीकरण, आरक्षण, असमानता, महिलावाद एवं समानता।

सन् 1991 में द्विध्रुवीयता के नष्ट होते ही विश्व–व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गयी। अमेरिका विश्व के विभिन्न भागों में अपनी पहुंच व शक्ति के बल पर एक मात्र विश्व स्तरीय शक्ति के रूप में उभरा जिसे उसने खाड़ी युद्ध में सिद्ध किया। एकल ध्रुवीय विश्व स्तरीय व्यवस्था में तमाम मुद्दे विश्व स्तरीय हो गये। जैसे लैगिंक समानता, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं अक्षय विकास इत्यादि। लैंगिक समानता का तात्पर्य महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक क्षेत्रों में सशक्त बनाना तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाना ताकि स्कैंडिवियन देशों के समान उन्हें समान प्रतिनिधित्व व अधिकार मिल सके।

प्राचीनकाल में आदिम साम्यवाद प्रचलित था वहाँ स्त्री–पुरूष के मध्य पूर्ण समानता थी किसी प्रकार का भेद–भाव न था। मानव जीवन पूरी तरह से वनेचर था वह झुण्ड़ो में घूमता था कंदमूल–फल–फूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। पेट भर खा लेता शेष दूसरे के लिए छोड़ देता था। संचयवृत्ति उसमें न थी यह पूर्ण समानता व स्वतन्त्रता की अवस्था थी। धीरे–धीरे मनुष्य शिकारी बना पशुओं का शिकार करके उनका मांस खाता था। इस दौरान पहिया, कृषि, सम्पत्ति आदि का आविष्कार हुआ। कृषि का आविष्कार होते ही महिलाएं कृषि कार्य में लग गयी और मुनष्य बाहय कार्य करता था। कृषि का आविष्कार महिलाओं ने किया तथा आबादी बढ़ने के

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

साथ महिलाए घर पर कृषि कार्य करने लगी और अन्यलोग बाहर शिकार व अन्य कार्य करते थे जिससे महिलाएं निकट आवास में कैद होकर रह गयी। अर्थात जनसंख्या वृद्वि, कृषि के विकास एवं सम्पत्ति के उदय ने महिलाओं कों पुरूषों का गुलाम बना दिया।

आगे आने वाले दास युग में समाज दो वर्गों से विभाजित हो गया जिसमें एक वर्ग जो भूमि व सम्पत्ति का स्वामी था दूसरा वर्ग जिसे उसने अपना दास बना लिया सामंतीयुग मे भी समाज स्थूल रूप से दो वर्गों सामंत व कृषक में बँट गया जिसमें दोनों मे संघर्ष स्वाभाविक था। पूँजीवादी युग में दो स्पष्ट वर्ग बन गये पूजीपति व श्रमिक वर्ग। जिसमें संघर्ष स्वाभाविक है, इस संघर्ष में श्रमिक वर्ग अपने बहुमत के बल पर पूँजीवाद का विनाश कर एक वर्ग–हीन समाज की रचना करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार कार्य करेगा और आवश्कतानुसार ले जायेगा।

वास्तव में चाहे दासयुग हो या सामन्ती युग अथवा पूँजीवाद युग। स्त्रियाँ हर युग में पुरूषों का गुलाम रही और हर युग के दोनों वर्गों ने उनका शोषण किया। स्त्रियाँ आदिम साम्यवाद के खत्म होते ही पुरूषों का गुलाम बनकर रह गयी इसलिए शायद मार्क्स व ऐजिल्स ने कहाँ था कि 'मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी पराज्य तब हुई जब पुरूषों ने स्त्रियों को अपना गुलाम लिया।'

आधुनिक युग मे महिलावाद का सर्वप्रथम अंग्रेजी में प्रयोग 19वी शदी के आँठवे दशक में किया गया। नारीवाद मानवमात्र की समानता पर आधारित है व्यक्ति, व्यक्ति है चाहे वह स्त्री हो या पुरूष। न कोई पुरूष होने के कारण श्रेष्ठ हो जाता है तथा न कोई व्यक्ति स्त्री होने के कारण निकृष्ट हो जाता है पुरूष की श्रेष्ठता और स्त्री की निकृष्टता की बात प्रकृति ने नही, वरन् समाज ने जोड़ी है। सिमोन ई0 बुआ अपनी पुस्तक The Second Sex में कहाँ है कि ' स्त्रियों का दमन इतिहास और संस्कृति की उपज है तथा इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया नही समझा जा सकता है।' अतः उनका कहना है कि 'औरत पैदा नही होती अपितू बना दी जाती है' नारीवाद की मूलयान्यता यह है कि स्त्री उतनी ही श्रेष्ठ है जितने की पुरूष तथा स्त्रियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान भागेदारी निभाने का अधिकार और अवसर मिलने चाहिए और स्पष्ट शब्दों में सशक्तीकरण का तात्पर्य सत्ता और शक्ति का विकेन्द्रीकरण ताकि महिलाओं एवं अन्य वंचित वर्ग को निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सके।

राजनीतिक प्रक्रिया के प्रसंग में नारीवाद का आशय यह है कि राजनीति व राजनीतिक कार्य–व्यवहार से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरूषों के समान भागेदारी प्राप्त होनी चाहिए सार्थक भूमिका के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की कितनी भागेदारी होनी चाहिए इस सम्बन्ध में महिलाओं की प्रस्थिति पर सयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1990 में सुझाव दिया है कि निर्णय लेने वाली संरचानाओं में महिलाओ की भागेदारी कम से कम 30% होनी चाहिए। u.n.o. ने महिलाओं सांसदों की संख्या में भारत को विश्व रैकिंग में 148 वे स्थान पर रखा है संसद में महिलाओं के हिस्सेदारी के मामले में खांडा 61.3% के साथ पहले स्थान पर, बोलीविया 53.1% के साथ दूसरे स्थान पर एवं क्यूबा 48.9% के आधार पर तीसरे स्थान पर है वर्तमान कुल लोकसभा के सांसदो की संख्या 543 है जिसमें 62 महिलाएं (11.04%) है। महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतू वैश्विक स्तर पर महिला सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिको में 1975 में हुआ जिसमें लैगिंक असमानता को रेखांकित किया गया। दूसरा 1980 को पेन हेगन, तीसरा नैराबी 1985 चौथा विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग में 1995 में 4 से 5 सितम्बर को हुआ। ये सभी सम्मेलन U.N.O. के नेतृत्व में आयोजित हुए और सभी महिला सम्मेलनों में महिलाओं के स्तर के सुधार पर बल दिया गया और प्रत्येक सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया गया कि महिलाओं का अक्षय विकास और पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्वाधीनता आन्दोलन में चाहे महिलाओं ने परोक्ष भूमिका ही निभाई हो पर इसके बाद महिलाओं ने निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1916 में श्रीमती ऐनी बेसेंट ने होमरूल आन्दोलन चलाया इसके बाद महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जो असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन और भारत छोड़ो आन्दोलन चला उसमें महिलाओं ने बढ़–चढ़कर भाग लिया। सरोजनी नायडू पहली ऐसी महिला थी जो 1925 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी उन्होंने ऐनी बेसेंट व अन्यों के साथ मिलकर 'भारतीय महिला संघ' की स्थापना की थी। उषा मेहता और अरूणा, आसफ अली ने जय प्रकाश व लोहिया के साथ जुडकर भारत छोड़ो आन्दोलन को शक्ति देने के लिए भूमिगत आन्दोलन चलाया। सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख संविधान सभा की कुछ प्रमुख महिला सदस्य थी।

स्वतन्त्रता पश्चात संविधान स्त्रियों व पुरूषों को समान अधिकार दिये जिसका उल्लेख मौलिक अधिकार व राज्य के नीति–निदेशक तत्वों में है। महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं

है। समस्त विश्व के प्रतिनिधि संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 18.4% है पाकिस्तान में महिलाओं का प्रतिनिधि 17%, बाँग्लादेश में 19% तथा नेपाल में 33% है। लेकिन भारत में कभी 10% से ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व न हो पाया। इसका अपवाद 15वी व 16वी लोक सभा का निर्वाचन है 15 लोकसभा में 59 महिलाएं तथा 16वीं लोकसभा में 61 महिलाएं चुनाव जीती इस प्रकार यह 10% से ज्यादा के आँकड़े को पार कर गयी। अर्थात् हमारी स्थिति पड़ोसी देशों से अच्छी नहीं हैं।

73वें एवं 74वें संविधान संसोधन 1993 द्वारा जहाँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्व–संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा दिये जाने के साथ स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की भागेदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया और वह है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 (33%) स्थानों का आरक्षण। वास्तव में स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व राजनीति में महिलाओं की प्रभावपूर्ण भागेदारी की सही शुरूआत है इससे ग्रामीण भारत की दशा व दिशा बदल रही है 2009–2010 में कुछ राज्यों की पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। वास्तव में विधायी संस्थाओं (लोकसभा व राज्य विधान सभाएं) में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से दो मार्ग अपनाएं जा सकते है।

प्रथम कानून बनाकर प्रतिनिधि सस्थाओं में महिला आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उदाहरण के लिए बाँग्लादेश में 10% आरक्षण, पाकिस्तान में 30% आरक्षण एवं अर्जेन्टाइना में 27% आरक्षण की व्यवस्था है।

द्वितीय राजनीतिक दलो के माध्यम से आरक्षण दिया जाय द्वितीय व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीतिक दलो को इस बात के लिए कानूनन बाध्य किया जा सकता है कि उसके द्वारा अपने उम्मीदवारो में से एक निश्चित प्रतिशत महिला उम्मीदवार होने आवश्यक है।

भारत में यद्यपि कुछ व्यक्तियों और समय–समय पर कुछ राजनीतिक दलो ने भी यदा–कदा द्वितीय मार्ग अपनाने का सुझाव दिया। लेकिन प्रमुख दलों कांग्रेस, भाजपा और बामपंथी दलों ने प्रथम मार्ग अपनाने पर ही बल दिया लगभग डेढ़ दशक से इस दिशा में प्रयास किये जा रहे है।

1990 से ही भारतीय राजनीति से यह बात कही जा रही थी कि विधायी संस्थानों से महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किये जाने चाहिए। पर इस दिशा में सर्वप्रथम कदम देवगौड़ा सरकार ने उठाया देव गौड़ा सरकार के पद ग्रहण के बाद संसद की महिला सदस्यों ने यह सोचा कि इस चुनावी वायदे की शीध्र ही अमली जामा पहनाया जाय। महिला आरक्षण विधेयक (81वे सवैधानिक संस्थान विधेयक 1996 के प्रावधान) देवगौड़ा सरकार ने पदासीन होने के पश्चात महिला आरक्षण विधेयक तैयार करवाया।

इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्न है।

1. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगे।
2. महिलाओं के लिये विधायी संस्थाओं में स्थानों का यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा।
3. विधायी संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का यह आरक्षण 'चक्रानुक्रम की पद्वित' आधार पर होगा। प्रत्येक चुनाव पूर्व लाटरी द्वारा यह निश्चित होगा कि कौन से स्थान महिलाओ के लिए आरक्षित है।
4. महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान S.C./S.T. की महिलाओं के लिए आरक्षित होगे।

यह महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में देवगौड़ा सरकार ने रखा। पर कुछ दलों ने में इससे o.B.C. व अल्पसंख्यक वर्गों के आरक्षण की मांग की और कहाँ भारत में केवल लिंगभेद ही नही है अपितू जाति विभेद और साम्प्रदायिक विभेद की स्थिति भी गम्भीर है। ऐसी स्थिति में देवगौड़ा सरकार ने इस विधयेक को संसदीय समिति को सौपा जिसकी अध्यक्ष गीता मुखर्जी थी। इस समिति ने इस विधेयक में कोई भी संसोधन करने इन्कार कर दिया। वास्तव में होना यह चाहिए कि S.C./S.T. का आरक्षण भी इसमें से निकाल दिया जाय और उनके इनके लिए संसद में आरक्षित सीटों में से 1/3 स्थान S.C./S.T. महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाय। यह आश्चर्य की बात है कि उक्त महिला आरक्षण अलग–अलग सरकारों के कार्य–काल में 7 बार 1996, 97, 98, 2000, 2002, 2003, एवं 2008 ई0 में प्रस्तावित किया जा चुका है पर प्रत्येक बार विधेयक को उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा मार्च 2010 में इस आशय का विधेयक राज्य सभा में प्रस्तावित किया तथा महिलाओं को

लोकसभा व व विधान सभाओं में आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण विधेयक 9 मार्च 2010 ई0 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था कि 2010 के बजट सत्र में ही यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित कर दिया जायेगा, लेकिन ऐसा नही किया गया, विशेष कर कुछ दलों के विरोध के कारण।

वास्तव में सरकार समाज में जिस प्रकार गरीब वर्ग को सशक्त बना रही है जरूरत इस बात की है कि वैसा ही प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु किया जाय मात्र आरक्षण प्रदान कर देने से महिला सशक्तीकरण का उददेश्य पूरा नही होता। यद्यपि विधानसभा एवं संसद में महिला आरक्षण सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और इसके साथ–साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सरकार को उचित अवसर प्रदान करना होगा आज की सरकार इस दिशा में प्रयासरत दिखाई देती है महिलाओं की हजारों वर्षो की लम्बी गुलामी की जंजीरों को यकायक तोड़ना सम्भंव नही है वास्तव में यह एक दीर्घकालिक एवं सत्त चलने वाली प्रक्रिया होगी।

संन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. भारतीय शासन एवं राजनीति – फाडिया B.L.
2. भारतीय सरकार एवं राजनीति – राय M.P. एवं त्रिवेदी
3. भारतीय सरकार एवं राजनीति – नारंग A.S.
4. अन्तराष्ट्रीय राजनीति दैनिक समाचार पत्र – फाडिया B.L.

दैनिक समाचार–पत्र

अमर उजाला

दैनिक जागरण